# सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002

**(2002 का अधिनियम संख्यांक 69)**

**[20 दिसम्बर, 2002]**

**सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिसमय और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर अवस्थित प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए प्रोटोकोल को प्रभावी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए अभिसमय और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर अवस्थित प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए प्रोटोकोल पर रोम में 10 मार्च, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और भारत को, उक्त अभिसमय और प्रोटोकोल को स्वीकार कर लेने के पश्चात्, उन्हें प्रभावी करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने चाहिएं;

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**अध्याय 1**

## प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 2 के अर्थान्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अन्य सामुद्रिक क्षेत्र की सीमा भी है ।

(3) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह निम्नलिखित को लागू होगा—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए धारा 3 के अधीन किसी अपराध को;

(ख) किसी पोत को, यदि वह पोत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड की बाहरी सीमाओं या उससे लगे राज्यों के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड की पार्श्वीय सीमाओं से परे सागर-खंड में या उससे होकर या उससे नौपरिवहनित हो रहा है या नौपरिवहनित होने के लिए अनुसूचित है;

(ग) जब अपराध भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड में किसी पोत के फलक पर या भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेटफार्म के विरुद्ध किया जाता है ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम किसी अपराधी या अभिकथित अपराधी द्वारा किए गए अपराधों को उस समय लागू होगा, जब—

(क) ऐसा कोई अपराधी किसी अभिसमय राज्य के राज्यक्षेत्र में पाया जाता है;

(ख) ऐसा कोई अपराधी किसी ऐसे प्रोटोकोल राज्य के राज्यक्षेत्र में पाया जाता है जिसके आंतरिक सागर-खंड या राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में उक्त स्थिर प्लेटफार्म अवस्थित है; या

(ग) ऐसा कोई अपराधी खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट राज्य से भिन्न किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में पाया जाता है ।

(5) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि" का वही अर्थ होगा जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में उसका है;

(ग) "अभिसमय" से सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए, 10 मार्च, 1988 को रोम में हस्ताक्षरित और समय-समय पर यथासंशोधित अभिसमय अभिप्रेत है;

(घ) "अभिसमय राज्य" से अभिसमय का कोई पक्षकार राज्य अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थिर प्लेटफार्म" से संसाधनों के लिए खोज या उनके विदोहन के प्रयोजन के लिए या अन्य आर्थिक प्रयोजनों के लिए समुद्रतल से स्थायी रूप से संलग्न कोई कृत्रिम द्वीप, संस्थापन या संरचना अभिप्रेत है;

(च) "प्रोटोकोल" से महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए 10 मार्च, 1988 को रोम में अंगीकार किया गया और समय-समय पर यथासंशोधित प्रोटोकोल अभिप्रेत है;

(छ) "प्रोटोकोल राज्य" से उक्त प्रोटोकल का पक्षकार राज्य अभिप्रेत है;

(ज) "पोत" से किसी प्रकार का कोई जलयान अभिप्रेत है जो समुद्र तल से स्थायी रूप से संलग्न नहीं है और इसके अंतर्गत गतिकत: अवलंबित यान, निमज्जक पुल या अन्य कोई प्लव यान भी है।

**अध्याय 2**

## अपराध

**3. पोत, स्थिर प्लेटफार्म, पोत के स्थोरा, नौपरिवहन सुविधाओं, आदि के विरुद्ध अपराध**—(1) जो कोई विधिविरुद्धतया और साशय—

(क) किसी स्थिर प्लेटफार्म या पोत के फलक पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा का कोई कार्य करेगा जिससे, यथास्थिति, स्थिर प्लेटफार्म की सुरक्षा या पोत के सुरक्षित नौपरिवहन के संकटापन्न होने की संभावना है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

(ख) किसी स्थिर प्लेटफार्म या किसी पोत को नष्ट करेगा या किसी स्थिर प्लेटफार्म या किसी पोत या पोत के स्थोरा को ऐसी रीति में नुकसान कारित करेगा जिससे ऐसे प्लेटफार्म की सुरक्षा या ऐसे पोत के सुरक्षित नौपरिवहन के संकटापन्न होने की संभावना है, तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा;

(ग) किसी स्थिर प्लेटफार्म या किसी पोत को बल प्रयोग द्वारा या उसकी धमकी देकर या किसी प्रकार का कोई अन्य अभित्रास देकर अभिगृहीत करेगा या उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखेगा, तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा ;

(घ) किसी स्थिर प्लेटफार्म या किसी पोत पर किसी भी प्रकार के किन्हीं साधनों द्वारा कोई ऐसी युक्ति या पदार्थ रखेगा या रखवाएगा जिससे उस स्थिर प्लेटफार्म या उस पोत के नष्ट होने की संभावना है या स्थिर प्लेटफार्म या उस पोत या उसके स्थोरा को ऐसा नुकसान कारित करेगा जिससे उस स्थिर प्लेटफार्म या उस पोत के सुरक्षित नौपरिवहन के संकटापन्न होने की संभावना है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

(ङ) सामुद्रिक नौपरिवहन सुविधाओं को नष्ट करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा अथवा उनके संचालन में हस्तक्षेप करेगा और यदि ऐसे कार्य से पोत के सुरक्षित नौपरिवहन के संकटापन्न होने की संभावना है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक ही सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

(च) ऐसी सूचना संसूचित करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है और उससे पोत का सुरक्षित नौपरिवहन संकटापन्न हो रहा है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(छ) स्थिर प्लेटफार्म के संबंध में खंड (क) से खंड (घ) में या पोत के संबंध में खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने में या कारित करने के प्रयास में,—

(i) किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा तो वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा ;

(ii) किसी व्यक्ति को गंभीर उपहति कारित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

(iii) किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ;

(iv) किसी व्यक्ति को अभिगृहीत करेगा या उसकी धमकी देगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा; और

(v) किसी पोत या स्थिर प्लेटफार्म को संकटापन्न करने की धमकी देगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध को कारित करने का प्रयास करेगा या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है और वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई, विधिविरुद्धतया या साशय किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए या कोई अपराध करने के लिए विवश करने के लिए उस व्यक्ति को धमकी देगा और यदि ऐसी धमकी से किसी पोत के सुरक्षित नौपरिवहन या स्थिर प्लेटफार्म की सुरक्षा के संकटापन्न होने की संभावना है तो वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य,—

(क) (i) अपराध के करने के समय भारतीय पोत के; या

(ii) भारत के राज्यक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड भी है, किसी पोत के,

विरुद्ध या उसके फलक पर;

(ख) किसी राज्यविहीन व्यक्ति द्वारा,

कारित किया जाता है तो ऐसा कार्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया अपराध माना जाएगा ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, "राज्यविहीन व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका आभ्यासिक निवास भारत में है किंतु उसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किया जाता है और ऐसा अपराध करने का अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में उपस्थित है और उसे, यथास्थिति, किसी अभिसमय राज्य या प्रोटोकोल राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में भारत में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(6) यह समाधान हो जाने पर कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है, केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अभिहित कोई अन्य प्राधिकारी उपधारा (5) में निर्दिष्ट और भारत के राज्यक्षेत्र में उपस्थित व्यक्ति को अभिरक्षा में लेगा या तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार भारत में उसकी उपस्थिति को ऐसे समय तक सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा जो कोई दांडिक या प्रत्यर्पण कार्रवाई संस्थित किए जाने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो :

परंतु जब किसी व्यक्ति को इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में ले लिया जाता है तब केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे अभिसमय राज्य या प्रोटोकोल राज्य को अधिसूचित करे, जिसने अभिरक्षाधीन व्यक्ति द्वारा किए गए या किए गए संदिग्ध अपराध के ऊपर अधिकारिता स्थापित की है ।

(7) उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है, वहां ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के संबंध में ऐसे कार्रवाई की जा सकेगी मानो ऐसा अपराध भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया था, जहां पर वह पाया जाए ।

(8) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन दंडनीय ऐसे अपराध का, जो भारत से बाहर कारित किया जाता है, संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि—

(क) ऐसा अपराध, ऐसे स्थिर प्लेटफार्म या पोत के फलक पर उस समय नहीं किया जाता है जब उस पर भारतीय ध्वज फहरा रहा हो;

(ख) ऐसा अपराध ऐसे पोत का फलक पर कारित नहीं किया जाता है जो तत्समय किसी ऐसे पट्टेदार को, जिसका कारबार का मुख्य स्थान या जहां उसका कारबार का ऐसा कोई स्थान नहीं है वहां उसका स्थायी निवास भारत में है, कर्मीदल के बिना चार्टर किया गया है; या

(ग) अभिकथित अपराधी भारत का नागरिक नहीं है या ऐसे स्थिर प्लेटफार्म या ऐसे पोत के फलक पर नहीं है जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया जाता है, जब वह भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर में प्रवेश करता है या भारत में पाया जाता है ।

**4. अन्वेषण की शक्ति का प्रदान किया जाना**—(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तटरक्षक के किसी राजपत्रित अधिकारी को या केंद्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को, संहिता के अधीन पुलिस द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तार करने, अन्वेषण या अभियोजन की शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारियों और सरकार के सभी अधिकारियों से, इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन में यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें सशक्त किया जाता है कि वे उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के अधिकारी की सहायता करें।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए "तटरक्षक अधिकारी" से तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 2 के खंड (थ) में यथापरिभाषित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

**5. अभिहित न्यायालय**—(1) राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित न्यायालय, जहां तक व्यवहार्य हो, दिन प्रतिदिन आधार पर विचारण करेगा।

**6. अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध**—(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे;

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति को संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ऐसे व्यक्ति के निरोध को ऐसी अभिरक्षा में जो वह उचित समझे, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए और जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वहां, कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट—

(i) जब ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्तानुसार उसके पास भेजा जाता है; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व किसी समय, यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है तो वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले अभिहित न्यायालय के पास भेजने का आदेश करेगा;

(ग) अभिहित न्यायालय, उपखंड (ख) के अधीन उसे भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 167 के अधीन ऐसे मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जो उस धारा के अधीन उसके पास भेजा गया है, प्रयोग कर सकता है;

(घ) अभिहित न्यायालय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किए गए परिवाद के परिशीलन पर, उसे अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना, उस अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(2) अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का विचारण भी कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोपित किया जाए।

**7. अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना**—इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।

**8. जमानत के बारे में उपबन्ध**—(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, तब तक जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि,—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की परिसीमाएं, संहिता या जमानत मंजूर करने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।

(3) इस धारा में किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह, संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।

**अध्याय 3**

## प्रकीर्ण

**9. प्रत्यर्पण के बारे में उपबंध**—(1) धारा 3 के अधीन अपराध, भारत द्वारा अभिसमय राज्यों या प्रोटोकोल राज्यों के साथ की गई ऐसी सभी प्रत्यर्पण संधियों में प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में सम्मिलित किए गए और उपबंधित किए गए समझे जाएंगे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारत पर विस्तारित और आबद्धकर हैं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के लागू होने के प्रयोजनों के लिए, किसी अभिसमय राज्य या प्रोटोकोल राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत किसी समय जब वह पोत गतिमान है, उस अभिसमय राज्य या प्रोटोकोल राज्य की अधिकारिता के भीतर समझा जाएगा चाहे वह तत्समय किसी अन्य देश की अधिकारिता के भीतर भी हो या नहीं ।

**10. अभिसमय या प्रोटोकोल के संविदाकारी पक्षकार**—केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस बारे में प्रमाणित कर सकेगी कि अभिसमय राज्य या प्रोटोकोल राज्य कौन से हैं और ऐसे राज्यों ने किस सीमा तक स्वयं, यथास्थिति, अभिसमय या प्रोटोकोल के उपबंधों का उपयोग किया है और ऐसी कोई अधिसूचना उसमें प्रमाणित विषयों के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगी ।

**11. कतिपय पोतों को अभिसमय राज्यों में रजिस्ट्रीकृत मानने की शक्ति**—यदि केंद्रीय सरकार का यह सामाधान हो जाता है कि किसी पोत के संबंध में अभिसमय की अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसा पोत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभिसमय राज्य में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा ।

**12. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना**—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

**13. धारा 3 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणाएं**—यदि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में यह साबित हो जाता है कि,—

(क) अभियुक्त के कब्जे से आयुध, गोला बारूद या विस्फोटक बरामद हुए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि उसी प्रकृति के आयुधों, गोला बारूद या विस्फोटकों का ऐसा अपराध करने में प्रयोग किया गया था;

(ख) ऐसा अपराध करने के संबंध में कर्मीदल या यात्रियों के साथ कारित बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी या किसी अन्य प्रकार के अभित्रास का कोई साक्ष्य है; या

(ग) भारत की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर किसी पोत के कर्मीदल, यात्रियों या स्थोरा या वहां पर अवस्थित स्थिर प्लेटफार्म के विरुद्ध बम, अग्न्यायुध, गोला बारूद या विस्फोटकों का प्रयोग करने की आशयिक धमकी का या किसी प्रकार की हिंसा कारित करने का साक्ष्य है,

तो अभिहित न्यायालय, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था ।

**14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण**—(1) इस अधिनियम के उबपंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

———